भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3721
सोमवार, 24 मार्च, 2025/ 03 चैत्र, 1947 (शक)

श्रमिकों की याचिकाओं का निपटान

3721. श्री एम.के. राघवन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत संस्थाओं और एजेंसियों द्वारा श्रमिकों की याचिकाओं को निपटाने में हो रहे विलंब पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और याचिकाओं के निपटान में हो रहे विलंब को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): कामगारों, ट्रेड यूनियनों आदि द्वारा समाधान पोर्टल पर दर्ज औद्योगिक विवादों/ याचिकाओं/ दावों/ शिकायतों का निपटान केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

विवादों/ याचिकाओं और दावों का समाधान संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामोदिष्ट सीआईआरएम कार्यालयों द्वारा सुलह और अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इन मामलों को हल करने में लगने वाला समय शिकायतों की प्रकृति, शामिल पक्षों से सहयोग, मांगों की संख्या और प्रकृति आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

मंत्रालय ने मामलों के तेजी से निपटान के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर लंबित मामलों की बारीकी से निगरानी, मनोनीत अधिकारियों के बीच लंबित मामलों का विवेकपूर्ण वितरण और 29 नए सहायक श्रम आयुक्तों की नियुक्ति शामिल है।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दावा निपटान प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब अग्रिम दावों की स्वचलित प्रक्रिया की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है तथा दावों का प्रक्रियान्वयन तीन दिनों के भीतर किया जाता है। केंद्रीयकृत आईटी सक्षम प्रणाली (सीआईटीईएस 2.01) के अंतर्गत सदस्य डाटाबेस के केंद्रीकरण के साथ दावा निपटान प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जा रहा है।

*****